चेंजिंग वेज

Changing Ways

(साप्ताहिक)

पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं. HP/DMA/113

❑ वर्ष 01 ❑ अंक 24 ❑ पृष्ठ : 04 ❑ मूल्य : 4 रुपये | धर्मशाला, 22 अगस्त 2016 | हर सोमवार को प्रकाशित

निजी शिक्षण संस्थानों पर नुकेल से मिलेगी बड़ी राहत

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय से सरकार व विभाग हरकत में

निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों से आम आदमी ने राहत की सांस ली है। आम जनता को राहत देने वाला यह आदेश कोर्ट ने चार माह पूर्व जारी किया थे। इसके तहत दुकानों में तब्दील हो चुके निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए एक दर्जन के करीब बिंदुओं पर आधारित सूचना नोटिस बोर्ड के अलावा संस्थान, स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के आदेश दिए गए हैं।

वहीं प्रदेश सरकार को निजी विश्वविद्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों व अन्य प्रकार के शिक्षण संस्थानों पर नजर रखने और इनमें नियमों के पालन की जांच करने के लिए एक कमेटी के गठन के आदेश भी दे दखे हैं। इससे आम जनता का सिरदर्द बनते जा रहे निजी स्कूलों की मनमानी पर नुकेल कसने की पूरी उम्मीद बंधी है। कोर्ट के इन आदेशों के बाद से शिक्षा विभाग हरकत में है। हाल ही में सभी जिलों में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटियों का गठन किया गया है।

इन कमेटियों ने 18 अगस्त को बैठकें करके माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत जारी 11 बिंदुओं पर आधारित सूचना संस्थान की वेबसाइट बनाकर दस दिनों के भितर अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही इस सूचना को संस्थान या स्कूल के नोटिसबोर्ड पर भी प्रदर्शित करने को कहा है। कोर्ट के जिस आदेश के चलते शिक्षा क्षेत्र में सुधार की यह कवायद चली है, हम उस मामले के कुछ बिंदुओं से आपको अवगत करवाने जा रहे हैं।

निजी संस्थान के छात्रों ने किया था केस

यह मामला *सिक्कम-मणिपाल विवि से संबद्ध शिक्षण संस्थान बिजनेस इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट साइंसेज में एमबीए पीजीडीएम कोर्स कर रहे विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। इन विद्यार्थियों ने संस्थान से इस बात को लेकर फीस वापस लेने की याचिका दायर की थी कि यह संस्थान ना तो यूजीसी और ना ही प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त था। संस्थान ने बड़े-बड़े लुभावने विज्ञापन देकर छात्रों का भविष्य बनाने के नाम पर मनमानी फीस वसूल की थी। सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि दूसरे राज्य में स्थापित निजी विवि के नाम पर इस निजी संस्थान ने बिना किसी नियम-कायदे के विभिन्न कोर्स शुरू कर रखे थे। इनकी फीस भी संबद्ध शिक्षण संस्थान से अप्रुव नहीं करवाई गई थी।*

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूपी नंबर 8789/2014 व 8781/2014, बिजनेस इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट साईंसेज बनाम हिमाचल सरकार मामले में निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी रोकने और स्कूलों व अन्य शिक्षण संस्थानों से जुड़ी अहम जानकारी सार्वजनिक करने को लेकर 27 अप्रैल 2016 को अहम निर्णय सुनाया था। जस्टिस जिलोक सिंह चौहान की बैंच ने संस्कृत के श्लोक माता शत्रु, पिता बैरी.... से शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए दिए गए अपने इस फैसले की शुरुआत की थी।

विभिन्न फंडों का फंडा हो समाप्त

कोर्ट ने अपने निर्णय में प्रदेश सरकार को इस बात को भी पूरी तरह लागू करवाने के निर्देश दिए थे कि कोई भी निजी शिक्षण संस्थान बिल्डिंग फंड, इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड और डिवेलपमेंट फंड के नाम पर किसी प्रकार का चार्ज न वसूले। इसके बाद शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिए गए कि वह सभी शिक्षण संस्थान, चाहें वे सरकारी हों या निजी संस्थान को बाध्यकारी आदेश जारी करके संस्थान के प्रवेश द्वार के पास नोटिस बोर्ड में या वेबसाइट पर निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करने को कहें। इसमें 11 प्रकार की जानकारियां शामिल की गई हैं। इनकी सूची बाक्स में दिखाई गई है। इस सूची में दिखाई जाने वाली जानकारी को संस्थान की वेबसाइट में दर्शाने को लेकर कोर्ट ने व्यवस्था की थी कि जिन संस्थानों की वेबसाइट नहीं है वे एक माह में वेबसाइट बनाकर इन्हें अपलोड करेंगे। इन आदेशों को लागू करने के लिए कोर्ट ने 29 जुलाई, 2016 तक का समय दिया था। इस दौरान आदेशों का पालन न होने पर इसे अदालत की अवमानना माने जाने की बात भी साफ लिखी गई थी।

मुख्य सचिव को दिए थे कमेटी बनाने के आदेश

कोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षण संस्थान के नाम पर चल रही दुकानों और इनके जरिये भोलेभाले छात्रों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ पर चिंता जताते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को एक कमेटी का गठन करने के आदेश जारी किए थे। साथ ही इस कमेटी के कार्य को परिभाषित करते हुए कहा था कि यह कमेटी सभी स्तर के निजी शिक्षण संस्थानों की पड़ताल करेगी। इन निजी शिक्षण संस्थानों में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, विस्तार केंद्र (चाहे किसी भी नाम से हो) और विश्वविद्यालय आदि शामिल होंगे। कोर्ट ने कमेटी गठित करने के अलावा एचपी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन एक्ट के प्रावधानों की पूरे प्रदेश में अनुपालना करवाए जाने की रिपोर्ट तीन माह में दाखिल करने को कहा था। साथ ही इस रिपोर्ट में विशेष तौर पर निजी संस्थान के ढांचे, पीटीए व योग्य स्टाफ की जानकारी के अलावा रूल 6 के तहत अकाउंट मेनटेन रखने और अन्य नियमों का पालन करने के अलावा सरकार द्वारा सत्यापित फीस लिए जाने की जानकारी शामिल करने के निर्देश दिए थे।

कमेटी करेगी निजी संस्थानों में नियमों के पालन की जांच

इसके अलावा इस कमेटी को यूजीसी द्वारा जारी की गई गाईडलाइंस की अनुपालना की भी जांच करने के अलावा अन्य प्रकार की किसी भी अनियमितता को अपनी रिपोर्ट में शामिल करने को कहा गया था। वहीं निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा किसी यूनिवर्सिटी या डिम्ड यूनिवर्सिटी या संस्थान के नाम पर ओपन या डिस्टेंस लर्निंग सेंटरों के माध्यम से ऑफर किए जा रहे किसी कार्यक्रम और गुमराह करने वाले विज्ञापनों के संबंध में भी जानकारी जुटाकर रिपोर्ट में शामिल करने को कहा गया था। खासकर यूजीसी एक्ट और यूजीसी के प्राइवेट यूनिवर्सिटिज रेगुलेशन एक्ट के प्रावधानों की अवहेलना पर नजररखने को कहा गया था।

आदेशों के पालान को 23 सितंबर तक का समय

हैरानी की *बात है कि कोर्ट के इन आदेशों को अभी तक लागू नहीं करवाया जा सका था। इस बीच 29 जुलाई को आदेशों की अनुपलना को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एक सौंझा शपथपत्र दाखिल किया गया। इसमें बताया गया कि 18 मई, 2016 को चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक बैठक में कमेटी के गठन का निर्णय हुआ और इस आधार पर कोर्ट के आदेशों की पालना के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर लिया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग 27 अप्रैल के आदेशों की अनुपालना के बारे में कोई जानकारी कोर्ट के समक्ष नहीं रखी गई है। इस पर कोर्ट ने आदेशों की अनुपालना के लिए छह सप्ताह का और समय देते हुए सुनवाई की अगामी तारीख 23 सितंबर, 2016 रखी है।*

स्कूलों को सार्वजनिक करनी होगी ये जानकारियां

- Faculty and staff alongwith their qualifications and job experience (profile).
- Details of Infrastructure.
- Affiliation alongwith certificate(s) of affiliation.
- Details of Internship and placement.
- Fees with complete breakup and details.
- Extra curricular activities with complete details.
- PTA- with address and telephone numbers of its members.
- Transport facilities with details.
- Age of the institute and its achievements (if any).
- Availability of scholarships with complete details.
- List of alumni(s) alongwith complete addresses and telephone numbers.

बलूचिस्तान पर भारत की नई रणनीति

बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय विवादास्पद था। भारत की आजादी के वक्त अंग्रेज देसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में मिलने अथवा स्वतंत्र रहने का विकल्प दे गए थे। कबाइली आबादी वाले बलूचिस्तान के शासक खान-ए-कलत ने आजाद रहने का फैसला किया। पाकिस्तान ने उनसे जोर-जबरदस्ती मार्च 1948 में बलूचिस्तान का विलय अपने देश में कराया, लेकिन बलूचिस्तान में आजादी की भावना कभी नहीं दबी। 1970 के दशक के आरंभ में तो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित बलूची पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ने सशस्त्र बगावत की। पाक सेना ने उसका दमन किया। तब तकरीबन दस हजार लोग मारे गए। वर्ष 2006 में बलूची संघर्ष का नया दौर शुरू हुआ। स्पष्टत: बलूचिस्तान पाकिस्तान की ऐसी कमजोर कड़ी है, जिस पर प्रहार करना भारत के लिए कारगर रणनीति हो सकती है। स्वतंत्रता दिवस को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के संबोधन से साफ हुआ कि भारत ने अब ये दांव चल दिया है।

इसका संकेत तभी मिल गया था, जब कश्मीर मसले पर सर्वदलीय बैठक में मोदी ने पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित के साथ बलूचिस्तान में भी जारी ज्यादतियों का जिक्र किया। कहा कि इसे बेनकाब करने का समय आ गया है। अब यह आने वाले दिनों में जाहिर होगा कि भारत ने कितनी तैयारी के साथ पाकिस्तान से निपटने की यह नई नीति अपनाई है? हर कूटनीतिक दांव के साथ जोखिम रहते हैं। बलूचिस्तान के संघर्ष को अब से पहले भारत ने कभी खुला समर्थन नहीं दिया। जबकि पाकिस्तान इल्जाम लगाता रहा कि वहां अशांति के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है।

कुछ महीने पहले कुलभूषण जाधव नामक पूर्व भारतीय नौसैनिक को उसने संदिग्ध ढंग से गिरफ्तार किया। फिर दावा किया कि जाधव बलूचिस्तान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) का एजेंट था। भारत ने हमेशा ऐसे आरोपों को निराधार बताया है। लेकिन अब भारत सरकार बलूची संघर्ष को खुला कूटनीतिक एवं नैतिक समर्थन देने को तैयार दिखती है। मुमकिन है कि इससे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय हस्तक्षेप के बारे में पाकिस्तान की शिकायत को बल मिले। वर्ष 1970-71 में इंदिरा गांधी की सरकार ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता संघर्ष को सफलतापूर्वक समर्थन दिया था। लेकिन ध्यानार्थ है कि पूर्वी पाकिस्तान की भौगोलिक सीमा भारत से मिलती थी।

बलूचिस्तान के मामले में ऐसा नहीं है। तब की तुलना में एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब भारत और पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न हैं। ऐसे में द्विपक्षीय तनाव ज्यादा बढ़ने पर अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ने की संभावना भी रहेगी। वैसे इन तमाम पहलुओं पर सरकार ने जरूर सोचा होगा। अगर भारत ने कूटनीतिक जोखिमों का मुकाबला करने की तैयारी के साथ यह रणनीति अपनाई है, तो संभव है कि भारत का ताजा दांव मास्टरस्ट्रोक साबित हो।

सौ.- नई दुनिया

बिगड़ैल पड़ोसी पर बलूचिस्तान दांव

कश्मीर के संदर्भ में इंसानियत की बात संविधान के दायरे के बाहर नहीं हो सकती है। वास्तव में मुख्यधारा का भारतीय राजनीतिक वर्ग भारत के संविधान की सीमा के बाहर जाकर दिल्ली और कश्मीर में असंतुष्ट लोगों के बीच की खाई को दूर नहीं कर सकता। सिर्फ हाशिये पर खड़े और कट्टर राजनीतिक समूह, जिनका भारतीय संविधान में कोई भरोसा नहीं है, वे ही इंसानियत की अलग और अपने ढंग से व्याख्या कर सकते हैं। यहां इंसानियत का मतलब है मानवाधिकारों पर आधारित भारतीय संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान...

-विवेक काटजू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान, जम्मू-कश्मीर और बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया है। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से दिए गए अपने भाषण में इन मुद्दों का जिक्र नहीं किया। 12 अगस्त को सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लोग पाकिस्तान के दमन का शिकार हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने विदेश मंत्रालय से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रह रहे पीओके के लोगों से संपर्क स्थापित करने को कहा है। यह पीओके पर भारत की पूर्व स्थिति का तार्किक विस्तार है, जिसमें कहा जाता है कि पूरा जम्मू-कश्मीर राज्य भारतीय संघ का हिस्सा है और पाकिस्तान ने पीओके पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है।

बाद में उन्होंने लाल किले से दिए अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में असाधारण रूप से कहा कि पीओके और बलूचिस्तान के लोगों द्वारा व्यक्त किया गया आभार वास्तव में भारत के लोगों के लिए है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में पाक द्वारा वहां किए जा रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया था। पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के क्रम में भारत ने कभी भी पीओके पर खुले तौर पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन भारत के संयम से पाकिस्तान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बहरहाल, भारत के वहां के लोगों के साथ खुले संपर्क के अभाव के कारण भारत के लिए यह मुश्किल होगा कि वह पीओके में रहने वाले लोगों के साथ तुरत-फुरत संपर्क स्थापित कर सके। बावजूद इसके कि उन्होंने मोदी के आह्वान पर तत्काल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

पीओके में पाकिस्तान का विरोध है, लेकिन भारत को वहां के लोगों के साथ संपर्क के अपने प्रयासों में निरंतरता कायम करनी होगी, अन्यथा विश्वसनीयता कायम करना उसके लिए मुश्किल होगा। बलूचिस्तान पर मोदी का रुख 2009 में शर्म-अल-शेख में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वक्तव्य के ठीक उलट है। तब उन्होंने अपने पाकिस्तानी समकक्ष यूसुफ अली गिलानी के साथ बैठक के बाद साझा वक्तव्य में बलूचिस्तान का उल्लेख करने पर सहमति जताई थी। पाकिस्तान का आरोप था कि भारत उस प्रांत में हस्तक्षेप कर रहा है। अब कश्मीर में पाकिस्तान के हस्तक्षेप को लेकर मोदी आक्रामक मुद्रा में हैं। उन्होंने पाक को अपने ही लोगों पर अत्याचार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

मोदी की ये दोनों टिप्पणियां दर्शाती हैं कि वह कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में पैदा हुई स्थितियों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया से बहुत व्यथित हुए हैं। पाकिस्तान ने वहां आंदोलन को

भड़काया है। वह साफ तौर पर कश्मीर की अशांति को बढ़ाने का काम कर रहा है। उसकी मंशा अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान घाटी की ओर आकर्षित कर भारत को दबाव में लाना है। इस उद्देश्य की खातिर ही उसने अपने स्वतंत्रता दिवस को कश्मीर की आजादी के लिए समर्पित किया है। मोदी को अंतरराष्ट्रीय समुदाय को साफ शब्दों में बताना चाहिए कि भारत कश्मीर में पाकिस्तान प्रेरित और नियोजित प्रदर्शन से निपटने में किसी दबाव में नहीं आएगा, भले ही वह कितना ही लंबा चले।

भारत तब भी संयम का परिचय दे रहा है जब वहां सुरक्षा बलों के खिलाफ जमकर अफवाह फैलाई जा रही है। पैलेट गन के प्रयोग से पैदा हुए हालात ने लोगों का खासा ध्यान खींचा है। हालांकि इस संबंध में भी भारी अफवाह फैलाई गई है कि घाटी में प्रदर्शन स्वत: प्रेरित हैं और वहां के स्थानीय लोगों ने इसे स्वयं शुरू किया है। उसमें पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की भूमिका नहीं है। जो इस दुष्प्रचार में भरोसा कर रहे हैं वे भूल रहे हैं कि बुरहान वानी हिजबुल का सदस्य था। इन प्रदर्शनों में पाकिस्तानी एजेंटों की सीधी संलिप्तता दिखती है।

बहरहाल बाहरी मोर्चों पर मोदी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नीति इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत पर आगे बढ़ने का भरोसा दिलाया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह एक अच्छी नीति है, लेकिन आज कश्मीर में हालात वाजपेयी के समय से कुछ अलग हैं। हाल के दिनों में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट का उभार हुआ है और उसने सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर मुस्लिम युवकों को आकर्षित किया है। घाटी में जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियां भी लगातार जारी हैं और उसने कश्मीरियत की धारणा को खासा नुकसान पहुंचाया है।

कश्मीर के संदर्भ में इंसानियत की बात संविधान के दायरे के बाहर नहीं हो सकती है। वास्तव में मुख्यधारा का भारतीय राजनीतिक वर्ग भारत के संविधान की सीमा के बाहर जाकर दिल्ली और कश्मीर में असंतुष्ट लोगों के बीच की खाई को दूर नहीं कर सकता। सिर्फ हाशिये पर खड़े और कट्टर राजनीतिक समूह, जिनका भारतीय संविधान में कोई भरोसा नहीं है, वे ही इंसानियत की अलग और अपने ढंग से व्याख्या कर सकते हैं। यहां इंसानियत का मतलब है मानवाधिकारों पर आधारित भारतीय संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान।

हालांकि कुछ विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार से हुर्रियत सहित कश्मीर के सभी वर्ग के लोगों से बात करने की मांग की है, लेकिन मोदी ने वादा नहीं किया है कि वार्ता में हुर्रियत भी शामिल होगी या नहीं। पूर्व में ऐसे मौकों पर सरकारें हुर्रियत से संपर्क करती थीं, क्योंकि उनका मानना था कि वे भारतीय हैं, भले ही वे कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हों। अतीत में चाहे जैसी सोच रही हो, लेकिन आज की स्थितियों में पाकिस्तान प्रायोजित छद्म युद्ध को किसी भी तरह बढ़ावा देना गलत होगा। खासकर तब जब मोदी जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के हस्तक्षेप पर मुखर होकर बोल रहे हैं।

अलगाववादियों को भी एक कड़ा संदेश देना चाहिए कि भारत कश्मीर में पाकिस्तान की दखलअंदाजी के प्रश्न पर ज्यादा दिन तक चुप नहीं रहेगा। भारत आतंक, अशांति और उपद्रव के इस सिलसिले को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब तक अलगाववादी तत्व पाकिस्तान और वहां के आतंकवादी समूहों से संपर्क नहीं तोड़ लेते, तब तक किसी प्रकार की वार्ता नहीं होगी। मोदी सरकार को इस नीति पर मजबूती से टिके रहना चाहिए। इससे भारत की पाकिस्तान नीति को विश्वसनीयता बढ़ेगी। भारतीय जम्हूरियत का मतलब यह नहीं है कि यह देश उन लोगों को अनंतकाल तक बर्दाश्त करता रहे जो इसे तोड़ना चाहते हैं।

आज समय की मांग है कि कश्मीर में पाकिस्तान के हस्तक्षेप और उसके छद्म चेहरों को खत्म किया जाए। जब तक यह नहीं होगा तब तक राज्य की आंतरिक समस्याएं भी खत्म नहीं हो सकेंगी। भारत को इस दिशा में लगातार प्रयास करने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जड़ें घाटी में बहुत गहरी हैं। मोदी ने पाकिस्तान को संकेत दिया है कि भारत का धैर्य अब जवाब दे रहा है और उसे समझ लेना चाहिए कि देश अब बर्दाश्त करने की पुरानी नीति पर नहीं चलेगा। वाकई यह समय दृढ़ता दिखाने का है।

(लेखक भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी और पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ हैं)

मुन्ना हाथी

मुन्ना हाथी का कारोबार सारे जंगल में फैला था। सारे पेड़-पौधों पर उसका एकछत्र अधिकार था। जहां भी उसकी तबीयत होती वहां जाकर पेड़ों की डालें तोड़ता, पत्ते चबाता और पेड़ हिला डालता। किसकी मजाल कि उसे रोके। जंगल में शेर ही उसकी बराबरी का जानवर था किंतु उसे पेड़-पौधों से क्या लेना-देना, उसे जानवरों के मांस से मतलब था।

मुन्ना खूब पत्ते खाता, घूमता और मौज करता। एक दिन जंगल के रास्ते से कारों का काफिला निकला। रंग-बिरंगी कारें देखकर मुन्ना का भी मूड हो गया कि वह भी कार में घूमे, हॉर्न बजाकर लोगों को सड़क से दूर हटाए

और सर्र से कट मारकर आगे निकल जाए। दौड़कर वह टिल्लुमल के शोरूम में जा पहुंचा और टिल्लुमल से अच्छी-सी कार दिखाने को कहा। टिल्लु चकरा गया। अब हाथी के लायक कार कहां से लाए।

बोला-भैया तुम्हारे लायक कार कहां मिलेगी, इतनी बड़ी कार तो कोई कंपनी नहीं बनाती। परंतु मुन्नाभाई ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली कि कार लेकर ही जाएंगे। अरे भाईए तुम्हारे लायक कार कंपनी को अलग से आदेश देकर बनवाना पड़ेगी, टिल्लुमल ने समझाना चाहा।

तो बनवाओ, इसमें क्या परेशानी है। मुन्ना झल्लाकर बोला।

बहुत बड़ी कार बनेगी।

तो बनने दो,तुम्हें क्या कष्ट है। मुन्ना चीखा।

जब कार चलेगी तो जंगल के बहुत से पेड़ काटना पड़ेंगे।

क्यों-क्यों काटने पड़ेंगे पेड़।

कार इतनी बड़ी होगी तो पेड़ तो काटने ही पड़ेंगे मुन्ना भैया, टिल्लु ने समझाना चाहा।

क्या पेड़ काटना ठीक होगा अपने जरा से शौक के लिए।

अरे टिल्लुमलजी, कार के लिए पेड़ काटना! अपनी मौज-मस्ती के लिए जंगल काटे, यह मुझे स्वीकार नहीं है। जंगल ही तो जीवन है, ऐसा कहकर वह जंगल वापस चला गया।

प्रेरक प्रसंग

> मुझे सफलताओं से मत आंकिए, बल्कि जितनी बार गिरा हूं, और गिर कर उठा हूं उस बल पर आंकिए।
>
> **-नेल्सन मंडेला**

पाठकों के लिए

विभिन्न सामाजिक, साहित्यिक एवं धार्मिक विषयों पर सभी प्रबुद्ध पाठकों के लेख, लघु कथाएं तथा कविताएं आमंत्रित हैं।

——हमारा पता——

संपादक,
चेंजिंग वेज, गुंजन भवन, तपोवन रोड खीपीओ सिद्धवाड़ी, धर्मशाला जिला कांगड़ा (हि.प्र.)-176057

Mail : badaltirahain@gmail.com

मदद व परामर्श से मिली एड्स से लड़ने की ताकत

एचआईवी पीड़ित की आत्मकथा

सामने की खिड़की से रोशनी की एक धारदार किरण बस अभी अभी बंद पलकों पर पड़नी शुरू ही हुई थी, लग रहा था जैसे खाल की पतली परत को छेद कर आंखों में समा जाना चाहती है। जी हुआ करवट फेर लूं अंधेरे की तरफ लेकिन शरीर में ताकत नहीं बची थी। चार महीने में 65 से 35 किलो रह गए बदन में इतनी भी जान नहीं लगती थी कि फुर्ती से करवट बदल लूं। तभी सरोज ने आकर सहारे से करवट बदलवा दी, पानी के लिए पूछा पर मैंने वापस आंखें मूंद लीं थीं। आईजीएमसी शिमला के एचआईवी वार्ड में पड़ा हुआ मेरा बस शरीर ही अशक्त हुआ था मन तो अचानक पूरी रफ्तार से सरी की ओर दौड़ लिया था।

सरी, मेरा गांव, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में उखीमठ के पास एक छोटा साए सुदूर पहाड़ी गांव। नैसर्गिक पहाड़ी सौंदर्य से भरा पूरा, लेकिन न यातायात के उपयुक्त साधन न खाने कमाने का कोई इंतजाम। उन दिनों पहाड़ पर क्या बचपन, क्या जवानी सब तंगहाली में गुजरते थे, बड़ी मुश्किल से पांचवीं तक की शिक्षा हो पाई। पुरखों की जमीन थी जिस पर जोत होती थी और थोड़ा बहुत मक्काए गेहूं हो जाया करता था। लेकिन इतने बड़े परिवार को पालने के लिए नियमित आमदनी चाहिए थी सो पिताजी ट्रक चलाने लगे, वे अधिकतर गुजरात में ट्रक चलाया करते थे। ऐसे ही बड़ी मुश्किलों से पांचवीं तक की पढ़ाई ही हो पाई।

17-18 का था तो खबर मिली कि ट्रक का एक्सिडेंट होने से पिताजी घायल हो गए हैं। जाकर पाया कि घुटनों के नीचे की दोनों हड्डियां तीन तीन जगह से टूट गई थीं, उसके बाद के दो साल मैं उनके साथ ही रहा, सूरत के संजीवनी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। घर की पहले से ही नाजुक अर्थ व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। रोजी रोटी का कोई और साधन नहीं, कुछ और करने की न जुगत, न ही प्रेरणा, तो अपना और एक लंबे चौड़े परिवार का पेट पालने के लिए सबसे सहज काम लगा था ट्रक ड्राइवरी।

कोई और रास्ता न देख ट्रक चलाना सीखने लगा। 21 साल की उम्र में ड्राइवर बन गया। ट्रक ड्राइवर, यह शब्द सुनते ही क्या खाका खिंचता है आपके मन में, नहीं सच, मैं जानता हूं। मस्त मौला, खाने पीने के शौकीन और थोड़े जाहिल इंसान, रंग बिरंगे ट्रक, ढाबे, उनका तर पंजाबी खाना और बाजारू औरतों का साथ। जब कभी आप हाईवे से यात्रा करते होंगे तो सब ट्रक, उनके ड्राइवर और क्लीनर ऐसे ही लगते होंगे आपको, एक जैसे। और एक दिन अगर आपको पता चले कि उनमें से एक ड्राइवर को एचआईवी हो गया है तो ईमानदारी से बताइए आपमें से कितनों को हमदर्दी होगी उससे।

जो आप नहीं जानते हैं वह है भूख के दावानल में जलते परिवार, बाल-बच्चे, जान हथेली पर लेकर मैदानी हाइवे ही नहीं, घाटों और पहाड़ी रास्तों पर बिना ब्रेक 7-7 दिन माल से लदे ट्रक चलाना, काली-ठंडी रातों में जब कम्बल और रजाई में भी आपका खून जम जाता है तो पूरी-पूरी रात एक ही मुद्रा में अकड़ी हुई देह से गाड़ी चलाते रहना, बीवी-बच्चों की याद और चिंता में सुलगता मन। हर ड्राइवर एक अलग इंसान होता है, एक अलग स्वभाव, एक अलग विवशता और उसका एक अलग नर्क। एक बार में लगातार साल-दो साल अपने परिवार से दूर रहने वाले ड्राइवरों को जब ढाबों में गर्म खाने और बिस्तर के साथ एक गर्म देह परोसी जाती है तो वे न नहीं कह पाते हैं। न कहने का चलन या उतनी कठिन नैतिकता सीखी भी नहीं होती है। जब कैसे भी जिंदा रह सकने की तलवार हर समय सर पर लटकाती हो तो ये छोटे छोटे सही गलत मापने नहीं रखते।

हमारे मालिक के ट्रक मुंबई, गुजरात, कर्नाटक और लगभग पूरे भारत में ही चलते थे, आज भी याद करता हूं तो खुशी होती है। 1995 में सरोज से मेरी शादी हो गई, सरोज पढ़ी-लिखी समझदार लड़की थी, मेरी हम उम्र। घर में सबकी हालत बेहतर हो रही थी, चैन की कट रही थी। 4-5 साल में दो बेटे भी हो गए।

ट्रक ड्राइवरी में होने वाले तमाम कष्टों के बावजूद लगता था कि जीवन अब सुखी हुआ, शुरुआती दौर के अभाव खत्म हुए, कि तभी 2004 में मेरे मालिक ने ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद कर दी। मैं गांव वापस आ गया, तंगहाली के दिन फिर लौट आए थे, छोटी मोटी खेतीबाड़ी और दिहाड़ी-मजदूरी से जैसे तैसे गुजारा चलने लगा। मुझे अंदाजा है कि एचआईवी का संक्रमण मुझे 2001-02 में ही हो गया होगा, मुंबई हाइवे के ही किसी ढाबे में, पर तब पता नहीं चला, क्योंकि एचआईवी का विषाणु शरीर में कई-कई वर्षों तक निष्क्रिय (डीरमैन्ट) अवस्था में रहता है। 2007 की शुरुआत में मेरी तबीयत खराब रहने लगीए खाना हजम होना बंद हो गया, सर्दी जुकाम, उल्टी दस्त और बुखार हर समय बने रहने लगेए बड़ी तेजी से वजन कम होने लगा और मैं लगभग मौत की कगार पर पहुंच गया।

जब घर वाले और सरोज मुझे लेकर इन्दिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) शिमला आए तब तक मेरा वजन केवल 35 किलो रह गया था, भूख बिलकुल नहीं लगती थी। पहली ही जांच में एचआईवी की पुष्टि हो गई, हम सब पर जैसे गाज गिर पड़ी। तपेदिक (टीबी) भी हो चुकी थी, जो एचआईवी का अभिन्न अंग है। वह रात मेरे जीवन की सबसे लंबी रात थी, मौत मेरे सिर पर खड़ी थी, 5-6 साल के दो बेटे, 13 साल का छोटा भाई, एक जवान बहन, बूढ़े अशक्त पिताजी, लाचार सरोज और मां रात भर आंखों के सामने घूमते रहे। मृत्यु और आतंक की काली, भयावह परछाइयां मेरे सिर पर तांडव करतीं रहीं, ईश्वर न करे संसार में किसी को भी उस भयंकर रात का सामना करना पड़े। लेकिन अगली सुबह जो उससे भी कठिन थी, अभी आनी बाकी थी, जब मुझे सरोज से कहना था कि वह भी अपने खून की जांच करवा ले।

सरोज, जो मुझे जान से प्यारी थी, निर्दोष, भोली, कर्मठ सरोज, जिसने किसी भी विषम परिस्थिति में मेरा साथ न छोड़ा, और डॉक्टर के अनुसार जिसका एचआईवी पॉजिटिव होना सौ प्रतिशत तय था, मेरे ही कारण काल के गाल में समा जाने वाली थी, मेरे ही कारण इतनी जिंदगियां बर्बाद होने वाली थीं। काश मुझे कोई पहले बता देता कि मैं हाइवे के ठन ठिकानों से क्षणिक सुख और तृप्ति नहीं अपने पूरे परिवार का विनाश खरीद रहा था।

उसके बाद की कहानी सैकड़ों बार हार कर एक बार पूरी तरह जीत लेने की है। मैं केवल 33 साल का था जब मुझे लगा कि अब मैं और सरोज कुछ ही दिनों के मेहमान हैं क्योंकि जैसा कि तय ही था अगली सुबह सरोज भी एचआईवी पॉजिटिव निकली। तब डरते-डरते दोनों बच्चों की भी जांच करवाई, और अटकी हुई सांसें फिर चल पड़ीं जब दोनों बच्चे नेगेटिव निकले, तीन महीने बाद दोबारा टेस्ट करवाया, तब भी दोनों नेगेटिव निकले, हमें तो जैसे जीने की एक वजह मिल गयी।

आईजीएमसी के डॉक्टरों और हिमाचल प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सोशल वर्करों ने भी हिम्मत बंधाई कि एआरटी (एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी) से हम लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते थे, और एचआईवी की अंतिम और प्राणघातक अवस्था एड्स को काफी समय के लिए टाला जा सकता था। एआरटी शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाती है तथा एचआईवी के एड्स में बदलने की गति को बहुत धीमा कर देती है, एआरटी एचआईवी संक्रमण के खतरों को भी कम करती है, तथा एचआईवी के दौरान होने वाली अन्य जानलेवा बीमारियों से भी बचाती है। एआरटी अब हमारे लिए पूरे जीवन चलने वाला इलाज है। 2 महीने में टीबी ठीक हुई और 6 महीने के इलाज से मैं बहुत स्वस्थ और बेहतर महसूस करने लगा, सबसे बातचीत करके जो आत्मबल आया तो भूख भी लगने लगी। साथ ही उन्होंने परिवार के लोगों को भी काउन्सलिंग करके उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया था कि साथ रहने या छूने से उन्हें हमसे यह बीमारी लगने का कोई डर नहीं है, हमारे परिवारीजनों ने हमें दोनों बाँहें खोल कर अपनाया, तथा समाज के सामने भी ढाल बन कर खड़े हो गए। देखा जाए तो हम बाकी एचआईवी पॉजिटिव लोगों की तुलना में कम अभागे रहे कि कम से कम हमें सामाजिक बदनामी या तिरस्कार का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या मुंह बाये खड़ी थी, रोटी के लाले पड़ गए थे हमें, पूरा परिवार भूखों मरने की कगार पर था। हारकर मैंने फिर से सड़क निर्माण कार्य में दिहाड़ी मजदूर का काम करना शुरू कर दिया, लेकिन तबीयत खराब होने पर अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मियों ने धूल मिट्टी के काम से परहेज बता दिया, इस तरह से जिंदा रहने का वह जुगाड़ भी हाथ से जाता रहा। दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे, दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे थे, और नियति के हाथों हमारी दुर्दशा जारी थी। इस बीच नगीन को भी टीबी हो गयी और शिमला जाकर उसका भी इलाज करवाना पड़ा। कुल मिलाकर, हम दोनों पति-पत्नी जो पूरे परिवार की एकमात्र और अंतिम आशा थे, दवाइयों के टाइम टेबल के हिसाब से जी रहे थे । 2010 में हम हिमाचल प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो कि सरकारी संस्था है के बुलावे पर उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगे। ऐसे ही एक प्रोग्राम में 2011 में हम गुंजन ऑर्गनाइजेशन के संदीप जी से मिले, हमारी बुरी आर्थिक अवस्था देखकर (जब वे मिले तो अपनी तंगहाली के चलते उस कड़कड़ाती ठंड में भी मैंने आधी बांह की कमीज और हवाई चप्पलें पहनी हुई थीं) उन्होंने हमारे सामने अपने साथ काम करने का प्रस्ताव रखा।

-जारी...

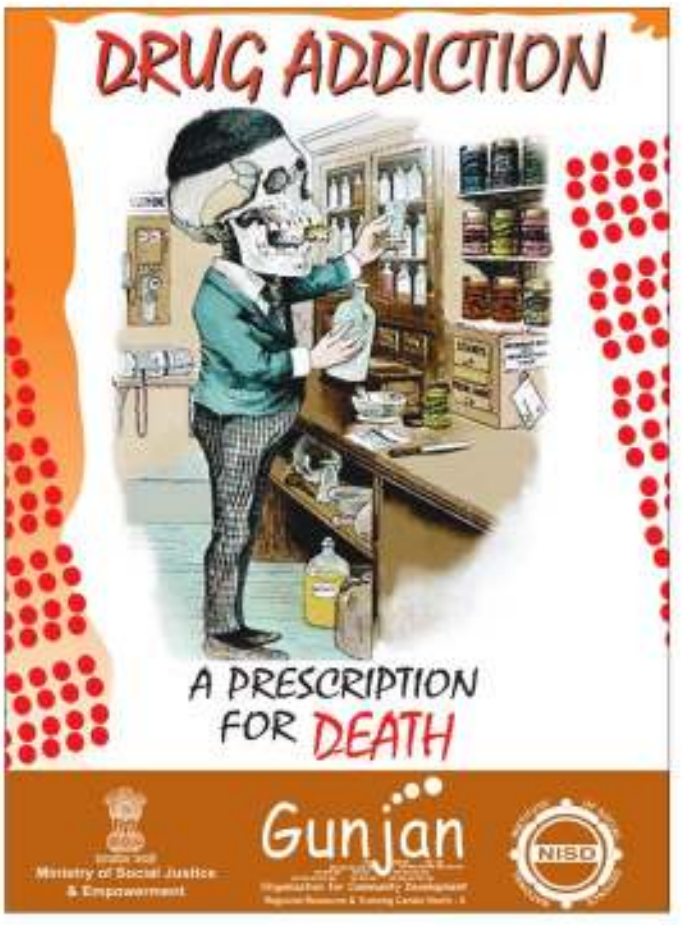

चेंजिंग वेज
Changing Ways
धर्मशाला, 22 अगस्त 2016

जान लीजिये क्या क्या खा रहें हैं आप...

रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप खाना बेहद पसंद करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी को किन चीजों से तैयार किया जाता है। आप शायद न जानते हों लेकिन अक्सर फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्ट के स्वाद में थोड़े से बदलाव लाने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करती हैं जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। आज हम आपको ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें किससे बनाया जाता है ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे...

बेकरी प्रोडक्ट्स

हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोजाना की जिंदगी में बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे केक, कुकीज, पेस्ट्रीज और ब्रेड का इस्तेमाल खूब करते हैं। लेकिन शायद आप न जानते हों कि इन्हें कुरकुरा और स्वादिष्ट बनाने के लिए L-Cysteine नाम के कैमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इंसान, सूअर और भेड़ के बालों से बनाया जाता है।

बीयर

बीयर के रंग को और भी ज्यादा गोल्डन बनाने के लिए मछली को सुखाकर उसके मूत्राशय को बीयर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इससे बीयर का रंग गोल्डन होता है और उसका टेस्ट भी स्ट्रांग होता है।

कैंडी, जैली और योगार्ट

कैंडी और जैली किसे पसंद नहीं होतीं। आजकल तो योगार्ट का इस्तेमाल भी खूब किया जाने लगा है।

लेकिन हम आपको बता दें कि इन तीनों ही चीजों को बनाने के लिए सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि जब सूअर की चर्बी को उबाला जाता है तो वो एक तरह का प्रोटीन उत्सर्जित करता है जो जैली को और ज्यादा फ्लफी बनाने के काम आता है। कैंडी और योगार्ट में भी फ्लेवर और चिकनेपन के लिए चर्बी को इस्तेमाल में लाया जाता है।

चीनी

चीनी तो एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर कोई ही अपनी जिंदगी में करता है। लेकिन हम आपको

बता दें कि चीनी को ज्यादा सफेद बनाने के लिए हड्डियों को पीसकर उसके पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है।

च्विंगम

ऐसे काफी सारे लोग मिल जाएंगे जिन्हें च्विंगम चबाना बेहद पसंद है। कुछ लोगों की तो ये आदतों में शुमार है जबकि कुछ स्टाइल मारने के लिए भी इसे चबाते हैं। हम आपको बता दें कि च्विंगम बनाने के लिए भेड़ के बालों का इस्तेमाल किया जाता है। भेड़ के बालों में lanolin पाया जाता ये जो च्विंगम को नरम बनाने में काम आता है।

वनीला फ्लेवर

बीवर नाम के जानवर के गुदाद्वार के पास पाई जाने वाली एक ग्रंथि का स्वाद वनीला फ्लेवर जैसा ही होता है। इसका इस्तेमाल आइसक्रीम में वनीला फ्लेवर लाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल आसान है और ये सस्ता भी होता है।

डीकैफिनेटेड कॉफी और पैक्ड मीट

डीकैफिनेटेड कॉफी पीना सेहत के लिए बेहतर बताया जाता है लेकिन आपको बता दें कि उसे बनाने के लिए कार्बनडाइ ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह पैक्ड मीट के कलर को ताजा बनाए रखने के लिए जहरीली कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस इस्तेमाल में लाई जाती है।

दुनिया के सबसे बड़े विमान ने भरी उड़ान 148 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार

■ 92 मीटर लंबा है एयरलैंडर 10
■ एयरलैंडर 4,880 मीटर तक भर सकता है उड़ान

विश्व के सबसे बड़े विमान ने पहली उड़ान भर ली है। यह विमान कुछ तकनीकी कारणों से पहली कोशिश में उड़ान नहीं भर पाया था।

एयरलैंडर 10 ने मध्य इंग्लैंड के कार्डिंग्टन में एक हवाई अड्डे पर एकत्र भीड़ की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उड़ान सफल उड़ान भरी। इससे 85 साल पहले आर101 ने अक्तूबर 1930 में इसी हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और यह फ्रांस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे 48 लोग मारे गए थे।

निर्माता हाईब्रिड एयर व्हिकल (एचएवी) के अनुसार, 92 मीटर लंबे एयरलैंडर 10 को मूल रूप से अमेरिकी सेना के सतर्कता विमान के तौर पर विकसित किया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल माल ढोने समेत वाणिज्यिक क्षेत्र के कई कार्यों में भी किए जाने की संभावना है।

फर्म को इस परियोजना को विकसित करने के लिए ब्रिटेन की सरकार से 37 लाख डॉलर की आर्थिक मदद मिली थी। फर्म ने एयरलैंडर को मौजूदा समय में उड़ान भर रहा सबसे बड़ा विमान करार दिया था।

एचएवी के अनुसारए एयरलैंडर 4,880 मीटर तक और 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है।

विमान को पहले रविवार को उड़ान भरनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से ऐसा नहीं हो सका था।

जानिए क्या है Google Duo

Video कॉलिंग इंटरनेट के इस युग में सभी लोगों की जरूरत बन गई है। Skype और FaceTime को टक्कर देने के लिए अब Google भी मैदान में आ गई है और उसने अपना Video Calling एप Google Duo लाइव कर दिया है। गूगल का कहना है कि ये एप वीडियो कॉलिंग के एक्सपीरियंस को बदल कर रख देगा। ये एप भी Android प्लेटफॉर्म पर ही काम करेगा और आप आज से इसे Play store से डाउनलोड कर इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्या है अलग : Google का दावा है कि ये अब तक का सबसे फास्ट और इंटरफेस के मामले में सिंपल वीडियो कॉलिंग एप है। ये एप भी 1 टू 1 वीडियो कॉलिंग एप मोबाइल के साधारण कॉल जैसा ही काम करेगा। इसे जैसे ही ओपन करेंगे सेल्फी कैमरा खुद ऑन हो जाएगा। स्क्रीन पर सिर्फ एक बटन दिखाई देगा जो कि कॉल करने के लिए होगा। बाकी एप की तरह ही इससे भी आपने जिसे कॉल किया है वो आपको लाइव देख सकेगा।

लॉग इन करना भी जरूरी नहीं

आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि यह एप महज 5MB का है और इसकी खासियत यह है कि दूसरे वीडियो कॉलिंग एप की तरह इसमें आपको अकाउंट बना कर लॉग इन करने की जरूरत नहीं होगी। यह आपको फोन नंबर के जरिए काम करेगा।

स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/संपादक : संदीप परमार द्वारा वीपीओ सिद्धबाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा-176057, हि.प्र. से प्रकाशित एवं इम्पीरियल प्रिंटिंग प्रेस, गुरुद्वारा रोड धर्मशाला से मुद्रित। फोन नंबर : 01892-235318 Mail : badaltirahain@gmail.com